



अधिष्ठाता कार्यालय
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ.ग.)-495001

FAX (O)- 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030

क्र. 1730 /स्था./प्रशा./सिम्स/20/

बिलासपुर, दिनांक 13/02/2020

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (महाविद्यालय) सिम्स, बिलासपुर में स्वीकृत सेटअप एवं रिक्त पदों को संविदा भर्ती से पूर्ति हेतु पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों निम्न लिखित नियम, शर्तों एवं चयन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दिनांक तक निम्नानुसार प्रारूप में भरकर आवेदन आंशत्रित किया जाता है।

क्र.	पदनाम	एकमुश्त समेकित वेतन	पद संख्या	अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	आवश्यकता अर्हता
1.	ऑडियोमेट्रिक थेरेपिस्ट (टेक्नीशियन)	18655/-	1	1	-	-	-	1.हियरिंग, लैंग्वेज एवं स्पीच/ ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (बीएसएलपी)। अथवा ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक (बीएसएलपी)

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदक/आवेदिका को छत्तीसगढ़ का स्थानीय/मूल/वास्तविक निवासी जो भी हो। जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. छत्तीसगढ़ जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक ना हो। (उम्र के प्रमाण हेतु कक्षा दसवीं की अंकसूची/पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।) (संलग्न प्रपत्र)
4. छ.ग. शासन/सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान लागू होगा। (संलग्न प्रपत्र)
5. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
6. ऐसे उम्मीदवार जिसकी 02 से अधिक जीवित संतान है तथा जिसमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, नियुक्ति के लिए अमान्य होगा। उक्त संबंध में अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया है नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
8. आवेदन पत्र विज्ञापन में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही टंकित कराकर, आवश्यक प्रविष्टियां सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
9. आवेदन पत्र में हस्ताक्षर, सही संवर्ग (श्रेणी) स्व हस्ताक्षरित फोटो एवं सर्टिफिकेट, छ.ग. राज्य का जाति/निवास प्रमाण पत्र संलग्नीकरण इत्यादि आवश्यक शर्तों का पालन सुनिश्चित करके ही आवेदन समस्त प्रमाण पत्र सहित जमा किये जावें।
10. आवेदक/आवेदिका अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक/आवेदिका के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा तथा समुचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
11. नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. आवेदक/आवेदिका द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशंसा, केनवाशिंग वर्जित है, तथा ऐसा करने वाले आवेदकों का आवेदन निरस्त किया जावेगा एवं समुचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी वाद-विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय अधिष्ठाता छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का होगा।

SMB

17

17

14. अभ्यर्थियों की सेवा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अधीन होगी।
15. आवेदक/आवेदिका आवेदन लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेख किया जाना है। आवेदन लिफाफा में आवेदित पद का नाम उल्लेख नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। अनारक्षित एवं आरक्षित उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. आवेदक/आवेदिका आवेदन कार्यालय अधिष्ठाता, सिम्स चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 03.10.3/20.2008 के कार्यालयीन समय सायं 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये।
17. भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती नियम छ0ग0 राजपत्र में क्रमांक एफ 21-10/2008/नौ/55 दिनां 6 अगस्त 2015 के अनुसार होगा।
18. प्राप्त आवेदनों का स्कुटनी समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र की सूची तैयार कर प्रदर्शित किया जावेगा। उपरोक्त जानकारी सिम्स के वेब साइट www.cims.bilaspur.ac.in पर समय-समय पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
19. दावा आपत्ति निराकरण पश्चात अंतिम चयन सूची जारी किया जावेगा।
20. अन्य आवश्यक सूचनाएं :- 01. उक्त रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी एवं अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती नियम छ0ग0 राजपत्र में दिनांक 21.09.2011 और क्रमांक एफ 21-10/2008/नौ/55 दिनां 6 अगस्त 2015 के अनुसार होगा।

02. अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

चयन प्रक्रिया :- उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन अधिष्ठाता, सिम्स बिलासपुर छ.ग. द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

अधिष्ठाता महोदय का अंतिम निर्णय सर्वमान्य होगा।

चयन प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा जिस हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	अधिकतम अंक
1	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	75
2	अनुभव	25
	कुल अंक	100

उपरोक्त पद पर आवेदन हेतु अनुभव हेतु अंकों का निर्धारण प्रत्येक पूर्ण 01 वर्ष हेतु 2.5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक निर्धारित हैं।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर (छ.ग.)

(रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन मान्य होंगे)
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स),
बिलासपुर (छ.ग.)

स्व प्रमाणित क्लर
पारापीट साइज का
फोटो चरपा करें। (जो कि तीन माह से
वधिक पुराना न हो)

1. आवेदित पद का नाम:-

2. आवेदक /आवेदिका का पूरा नाम:-

.....

3. पिता/पति का नाम:-

.....

4. माता का नाम:-

.....

5. जन्मतिथि (अंको में):-

.....

(शब्दों में):-

.....

दिनांक 1/09/2018 की स्थिति में आयु :- वर्ष माह दिन.....

6. लिंग (महिला/पुरुष):-

.....

7. जाति (अजजा/अजा/अ.पि.वर्ग/सामान्य) :-

.....

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-
पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

8. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं:-

.....

(यदि हाँ तो विकलांगता संबंधी सक्षम
अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र की सत्यापित
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

9. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत:-

.....

10. स्थायी पता:-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. रोजगार कार्यालय का नाम:-

.....

क्रमांक एवं दिनांक:-

.....

13. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है (हां/नहीं) :-

.....

(छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

14. क्या आप विवाहित है हां/नहीं

:-

यदि हां तो विवाह की तिथि

:-

15. जीवित संतानों की संख्या

:-

16. क्या अभ्यर्थियों के विरुद्ध दाण्डिक

:-

प्रकरण किसी पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है अथवा किसी न्यायालय
में निराकृत हो चुका है? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित
प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।

